कार्यालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील/RTI/49/2024

श्री समुद्र सिंह सेवानिवृत प्रधानाचार्य निवासी 5/635 श्री अग्रसेन पब्लिक स्कूल के पास गोलपुरा रोड, सुभाष नगर II भरतपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भरतपुर

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश दिनांक 13.11.2024

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट श्री समुद्र सिहं सेवानिवृत प्रधानाचार्य निवासी 5/635 श्री अग्रसेन पब्लिक स्कूल के पास गोलपुरा रोड, सुभाष नगर II भरतपुर की अपील लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भरतपुर के विरूद्ध इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से चाही गई सूचना, लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक कोर्ट/24/761 दिनांक 24.10.2024 से लोक सूचना अधिकारी से अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध कराने/नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भरतपुर से पत्रांक एलआर/2024/6856 दिनांक 12.11.2024 से जवाब/सूचना प्राप्त हुई, जो शामिल मिसिल की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाव में

......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

अंकित किया है कि प्रार्थी / अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय के पत्रांक एल.आर. / 2024 / 4712 दिनांक 30.07.2024 एवं पत्रांक एल.आर. / 2024 / 6374 दिनांक 14.10.24 से जरिये डाक चाही गई सूचना उपलब्ध करा दी गई है।

उक्तानुसार लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जवाब के अवलोकन से जाहिर आया कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भरतपुर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र अनुसार चाही गई सूचना प्रार्थी / अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी गई है। लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं होने के कारण अपील खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सहित) प्रेषित हो। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भरतपुर को प्रेषित हो। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर